भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5360

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

तमिलनाडु में एसबीएम-यू के अंतर्गत प्रगति

5360. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और देश में विशेषकर तमिलनाडु में उक्त मिशन के अंतर्गत शामिल शहरी क्षेत्रों का राज्यवार प्रतिशत क्या है;

(ख) अरानी जिले सहित तमिलनाडु में शौचालयों के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और स्वच्छता सुविधाओं जैसे अवसंरचना विकास के संदर्भ में एसबीएम-यू के अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) एसबीएम-यू ने तमिलनाडु विशेषकर अरानी जिले में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार लाने में किस प्रकार योगदान दिया है:

(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सुविधाओं के स्थायित्व और उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की गई है/की जा रही है; और

(ङ) सरकार ने तमिलनाडु में उक्त मिशन के कार्यान्वयन और निगरानी में स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों को किस प्रकार शामिल किया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण, क्षमता निर्माण पहल, आईईसी और व्यवहार परिवर्तन अभियानों को बढ़ावा देकर और अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमताओं में कमियों को पूरा करने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) को तमिलनाडु के अरनी जिले सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में समान रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत सरकार ने खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) की शुरुआत की थी। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और अपशिष्ट के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 से पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है।

अब तक 63.75 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जो मिशन लक्ष्य 58.99 लाख (108.06%) से अधिक है और 5.07 लाख (125.44%) के मिशन लक्ष्य के मुकाबले 6.36 लाख सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) सीटों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, 97.69% वार्डों में यानी कुल 96,194 वार्डों में से 93,981 वार्डों में 100% घर-घर संग्रहण किया जा रहा है और 90.39% वार्डों में यानी कुल 96,194 वार्डों में से 86,955 वार्डों में स्रोत पृथक्करण किया जा रहा है। वर्ष 2014 में 16% के मुकाबले, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण प्रतिदिन उत्पन्न कुल अपशिष्ट का 80.49% है, अर्थात कुल 1,61,157 टीपीडी अपशिष्ट में से अपशिष्ट प्रसंस्करण 1,29,708 टन प्रतिदिन (टीपीडी) है। शौचालयों के निर्माण जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के संदर्भ में एसबीएम-यू के तहत की गई प्रगति का राज्य-वार विवरण संलग्न है। राज्य-वार अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का ब्यौरा एसबीएम-यू, एमओएचयूए के निर्धारित पोर्टल https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है ।

(ग) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और पर्यावरणीय स्थितियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे **(i)**, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 'स्टॉप डायरिया अभियान'- ' डायरिया की रोकम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान' के अनुरूप 20 जून, 2024 को 'सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ' **(**एसएबीबी) अभियान की शुरुआत की ताकि जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों को रोका जा सके। **(ii)** 'स्वच्छता ही सेवा' जैसी पहलों ने नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है और स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा दिया है; **(iii)** एसबीएम-यू सभी नागरिकों विशेषकर लड़कियों/महिलाओं को बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए स्वच्छ और कार्यात्मक शौचालय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है; **(iv)** एसबीएम-यू अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और खाद बनाने के माध्यम से

उचित सीवेज शोधन और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे शहरी क्षेत्र अधिक स्वच्छ हुए हैं और लैंडफिल पर निर्भरता कम हुई है।

(घ) : संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है और भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल और स्वच्छता सेवाओं की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सौंपी गई है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन करना, क्रियान्वित करना और संचालन करना राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी है।

तमिलनाडु के अरनी जिले सहित राज्यों/यूएलबी को सहायता प्रदान करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मैनुअल/मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) साझा करके नीतिगत निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशा-निर्देश जारी करता है। शोधन प्रौद्योगिकियों का चयन यूएलबी/राज्य सरकारों को करना होता है।

इसके अलावा एसबीएम-यू के तहत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों, प्रयुक्त जल प्रबंधन संयंत्रों, शौचालयों के निर्माण, अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमताओं की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने वाली क्षमता निर्माण पहलों की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से की धनराशि जारी की जाती है।

(ड.) : एसबीएम-यू 2.0 प्रचालन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, महिलाओं और गृहणियों सहित नागरिकों को मिशन के केंद्र में लाकर, उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करके और कार्यान्वयन से लेकर निगरानी तक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देकर महिला सशक्तीकरण और "समानता और समावेशन" लाने के प्रावधान किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक

"तमिलनाडु में एसबीएम-यू के अंतर्गत प्रगति" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5360 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

<u>व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल)</u>

क्र. सं.	**राज्य**	**व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, संख्या**	
		मिशन लक्ष्य	पूर्ण
1	आंध्र प्रदेश	1,93,426	2,43,764
2	अंडमान और निकोबार	336	336
3	अरुणाचल प्रदेश	12,252	11,606
4	असम	75,720	78,788
5	बिहार	3,83,079	4,04,444
6	चंडीगढ़	4,282	6,117
7	छत्तीसगढ	3,00,000	3,26,435
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव यूटी	1,878	2,378
9	दिल्ली	5,000	776
10	गोवा	8,020	3,801
11	गुजरात	4,06,388	5,60,046
12	हरियाणा	71,000	66,751
13	हिमाचल प्रदेश	11,266	6,743

क्र. सं.	राज्य	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, संख्या	
		मिशन लक्ष्य	पूर्ण
14	जम्मू और कश्मीर	59,600	51,246
15	झारखंड	1,61,713	2,18,700
16	कर्नाटक	3,50,000	3,93,278
17	केरल	29,578	37,207
18	लद्दाख	400	434
19	मध्य प्रदेश	5,12,380	5,79,642
20	महाराष्ट्र	6,29,819	7,22,915
21	मणिपुर	43,644	40,707
22	मेघालय	5,066	1,604
23	मिजोरम	16,441	15,495
24	नागालैंड	23,427	21,471
25	ओडिशा	1,32,509	1,65,925
26	पुदुचेरी	5,681	5,189
27	पंजाब	1,02,000	1,03,683
28	राजस्थान	3,61,753	3,68,515
29	सिक्किम	1,587	1,559
30	तमिलनाडु	4,37,543	5,43,742
31	तेलंगाना	1,63,508	1,57,165

क्र. सं.	राज्य	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, संख्या	
		मिशन लक्ष्य	पूर्ण
32	त्रिपुरा	19,464	23,574
33	उत्तर प्रदेश	8,28,237	9,00,407
34	उत्तराखंड	27,640	28,012
35	पश्चिम बंगाल	5,15,000	2,82,542
	कुल	**58,99,637**	**63,74,997**

<u>सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय</u>

क्र. सं.	राज्य	कुल सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय (सीटों की संख्या)	
		मिशन लक्ष्य	पूर्ण
1	आंध्र प्रदेश	21,464	17,799
2	अंडमान और निकोबार	126	609
3	अरुणाचल प्रदेश	387	89
4	असम	3,554	3,356
5	बिहार	26,439	28,677
6	चंडीगढ़	976	2,512

क्र. सं.	राज्य	कुल सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय (सीटों की संख्या)	
		मिशन लक्ष्य	पूर्ण
7	छत्तीसगढ	17,796	18,832
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव यूटी	219	615
9	दिल्ली	11,138	28,256
10	गोवा	507	1,270
11	गुजरात	31,010	24,149
12	हरियाणा	10,393	11,374
13	हिमाचल प्रदेश	876	1,700
14	जम्मू और कश्मीर	3,585	3,451
15	झारखंड	12,366	9,643
16	कर्नाटक	34,839	36,556
17	केरल	4,801	2,872
18	लद्दाख	194	194
19	मध्य प्रदेश	40,230	29,867
20	महाराष्ट्र	59,706	1,66,465
21	मणिपुर	620	581
22	मेघालय	362	152
23	मिजोरम	491	1,324

क्र. सं.	राज्य	कुल सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय (सीटों की संख्या)	
		मिशन लक्ष्य	पूर्ण
24	नागालैंड	478	238
25	ओडिशा	17,800	12,211
26	पुदुचेरी	1,204	836
27	पंजाब	10,924	11,522
28	राजस्थान	26,364	31,300
29	सिक्किम	142	268
30	तमिलनाडु	59,921	92,744
31	तेलंगाना	15,543	15,465
32	त्रिपुरा	586	1,089
33	उत्तर प्रदेश	63,451	70,370
34	उत्तराखंड	2,611	4,694
35	पश्चिम बंगाल	26,484	5,746
	कुल	**5,07,587**	**6,36,826**